

# उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,

राजकीय उद्यान परिसर, आलमबाग, लखनऊ

संख्या-बी०प्र०सं०मु०/तक०/का०ज्ञा०/के०/६७८४

दिनांक: 13.12.2016

समस्त उप निदेशक/प्रभारी अधिकारी  
उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

## विषय:-बीज प्रमाणीकरण के विभिन्न चरणों के संबंध में निर्देश।

उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रदेश के बहुसंख्यक कृषकों को आनुवांशिक रूप से शुद्ध, स्वस्थ एवं रोग रहित प्रमाणित बीज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की दिशा में विगत लगभग 40 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उन्नतिशील प्रजातियों के सुपरीक्षित बीज के माध्यम से प्रदेश में हरित क्रान्ति लाने में संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्था की प्रमाणीकरण कार्य पद्धति मूलतः भारत सरकार द्वारा निर्गत न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों तथा बीज अधिनियम के प्राविधानों पर आधारित हैं। फिर भी स्थानीय/क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त मानकों के अनुरूप कार्यवाही करने में जो व्यावहारिक कठिनाईयां समय-समय पर आती रही, उनके निराकरण हेतु निर्देश संस्था मुख्यालय से कार्यालय-ज्ञापों के माध्यम से प्रसारित किये जाते रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व के सभी निर्देशों एवं ज्ञापों को संकलित करते हुए पत्रांक 1337 दिनांक 06.06.2002 के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे। विगत कुछ समय पूर्व से संस्था के कार्यों को कम्प्यूटराईज करने का कार्य प्रारम्भ किया गया। फलस्वरूप कुछ अन्य नये ज्ञाप/निर्देश जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई तथा सभी सम्भागीय अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए पूर्व निर्गत निर्देशों में संशोधन कर बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं -

### 1. पंजीकरण हेतु पात्रता

1.1 बीज प्रमाणीकरण हेतु पंजीकरण कराने के इच्छुक कृषकों एवं संस्थाओं/उत्पादकों से प्राप्त केवल उन्हीं फसल/प्रजातियों से संबंधित आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जो बीज अधिनियम-1966 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचित हो। प्रमाणीकरण हेतु प्रत्येक अनुरोध संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र पर सभी वांछित सूचनायें उपलब्ध कराते हुए संबंधित संभागीय कार्यालय पर किया जायेगा। आवेदन-पत्र में वांछित सभी सूचनायें अंकित करते हुए बीज स्रोत के टैग एवं रसीदे, सम्बन्धित कृषक की नवीनतम खतौनी, यथा आवश्यक घोषणा-पत्र तथा पंजीयन निरीक्षण शुल्क सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधूरी सूचना वाले आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन-पत्र में इंगित प्रत्येक निर्देश का पालन भी बीजोत्पादक को करना होगा। संभागीय कार्यालय पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

- (I) बीज स्रोत का सत्यापन पंजीयन के समय ही पूर्ण किया जायेगा, जिसका अंकन पंजीयन आवेदन-पत्र में पूर्ण कराते हुए जाँचकर्ता निरीक्षक उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही पूर्ण किये गये पंजीयन आवेदन पत्र एवं आनलाईन पंजीयन से प्राप्त प्रतियां उपनिदेशक/सम्भागीय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी की जायेंगी। कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा पंजीयन आवेदन की आनलाईन प्रविष्टि पूर्ण करने पर पंजीकरण संख्या स्वतः ही जारी हो जायेगी जिसे पंजीयन आवेदन पत्र पर भी अंकित किया जायेगा।
- (II) संभागीय कार्यालय स्तर पर आनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए बीजक निर्गत किया जायेगा तथा प्राप्त पंजीयन शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क को बैंक में संग्रह खाते में जमा किया जायेगा।
- (III) सभी चेक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० "उप निदेशक उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, सम्भागीय कार्यालय" के पक्ष में देय ही स्वीकार किये जायेंगे। यथा सम्भव कैशलेस प्रक्रिया अपनायी जायेगी। क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान हेतु स्वाइप मशीन का प्रयोग किया जा सकता है।
- (IV) चेक/बैंक ड्राफ्ट भुगतानित होने पर ही विभागीय कैश रसीद संस्था के सम्भागीय कार्यालय से निर्गत की जायेगी।
- (V) यथावश्यक लोकेशन के आधार पर अन्तिम बीजक संभागीय कार्यालय स्तर से ही निर्गत किये जायेंगे।
- (VI) सभी संभागों से प्राप्त आनलाईन पंजीकरण सूचना को संस्था मुख्यालय पर अनुरक्षित मुख्य कम्प्यूटर में संकलित किया जायेगा।

1.2 प्रमाणित बीज का उत्पादन दो श्रेणियों अर्थात् आधारीय एवं प्रमाणित वर्ग में किया जाता है। आधारीय वर्ग के बीजोत्पादन हेतु प्रजनक बीज तथा प्रमाणित वर्ग के बीजोत्पादन हेतु आधारीय वर्ग का बीज प्रयुक्त होता है। परन्तु आधारीय-प्रथम से आधारीय-द्वितीय वर्ग में बीजोत्पादन विशेष परिस्थितियों में मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्भव होगा यह प्रक्रिया आलू पर लागू नहीं होगी। आधारीय बीजों की सीमित उपलब्धता की दशा में सन्तुष्ट होने पर प्रमाणीकरण संस्था प्रमाणित वर्ग के बीज से भी प्रमाणित वर्ग में बीजोत्पादन की अनुमति प्रदान कर सकती है। यह अनुमति संस्था मुख्यालय से ही प्रदान की जायेगी। सामान्यतया आधारीय बीज की अनुपलब्धता का प्रमाण, पंजीकरण के समय ही उपलब्ध करा दिया जाना चाहिये किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में समय से उक्त की उपलब्धता न होने पर एक माह का समय प्रदान करते हुये सशर्त पंजीकरण संभाग स्तर पर कर लिया जायेगा। किन्तु उक्त अवधि में भी प्रमाण न देने पर फसल को निरस्त कर दिया जायेगा। प्रमाणित बीज से उत्पादित प्रमाणित बीज अवस्था द्वितीय, भावी बीजोत्पादन हेतु, कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। इस संबंध में कोई भ्रान्ति न हो, इसलिए प्रमाणित वर्ग-अवस्था-द्वितीय को प्रदत्त प्रमाणित टैग पर "S" की मोहर संयंत्र पर तैनात निरीक्षक द्वारा पैकिंग के समय लगायी जायेगी।

- 1.3 समस्त बीज उत्पादक संस्थाओं/कम्पनियों अथवा प्रदेश के बाहर की वह बीज उत्पादक संस्थाएँ जो उत्तर प्रदेश में बीज विपणन करना चाहती हैं, उनका निबंधन/अनुज्ञापन अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार की संस्थाओं के क्षेत्रीय वितरक अपने-अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी से अनुज्ञापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
- 1.4 निगमों, विभागों, कम्पनियों द्वारा जिन कृषकों के प्रक्षेत्रों पर बीजोत्पादन किया जा रहा है, उनके नाम से ही, संस्था में पंजीयन कराना आवश्यक है।
- 1.5 पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र पर उत्पादक के नाम के साथ "द्वारा" अथवा "केयर ऑफ" लिखकर कोई अन्य पता लिखने से, पंजीयन मात्र उत्पादक के नाम से ही माना जायेगा तथा अन्य पते को केवल पत्राचार के रूप में ही लिया जायेगा। किसी भी उत्पादक संस्था को स्वयं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से सम्बद्ध समस्त उत्पादकों के आवेदन पत्र, अपने लेटर पैड के साथ संकलित रूप में अग्रसारित किये जाने पर ही यह सम्बद्धता मान्य होगी।
- 1.6 प्रत्येक उत्पादक/फसल/प्रजाति/बीज वर्ग/फसल-सत्र/लोकेशन के लिये अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 1.7 व्यक्तिगत बीज उत्पादकों/उत्पादक संस्थाओं एवं निगमों आदि द्वारा शत-प्रतिशत पंजीयन/निरीक्षण शुल्क पंजीयन के समय अग्रिम रूप से देय होगा। राजकीय विभागों द्वारा शत-प्रतिशत पंजीयन शुल्क पंजीयन के समय देय होगा तथा निरीक्षण शुल्क का भुगतान भी यथाशीघ्र करना होगा।
- 1.8 प्रमाणीकरण प्रक्रिया में बीज का स्वामित्व मध्यावधि में नहीं बदला जायेगा। मूल पंजीकृत संस्था/उत्पादक के नाम से ही प्रमाणीकरण की समस्त कार्यवाहियों को अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा।
- 1.9 फसल बुवाई के 15 दिन तक अथवा संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो, तक पंजीयन कराना आवश्यक है।  
आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथियाँ निम्न प्रकार होगी-
- |    |                           |                                   |
|----|---------------------------|-----------------------------------|
|    | फसल सत्र                  | पंजीयन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि |
| 1- | जायद                      | 15 अप्रैल                         |
| 2- | खरीफ                      | 15 अगस्त                          |
| 3- | रबी-                      |                                   |
|    | (अ)- आलू तोरिया, रबी अरहर | 15 नवम्बर                         |
|    | (ब)- राई, मटर, मसूर       | 15 दिसम्बर                        |
|    | (स)- अन्य फसलें           | 15 जनवरी                          |
- 1.10 प्रत्येक क्षेत्र विशेष में बीजोत्पादन लेने हेतु यथासम्भव, उस क्षेत्र के लिये संस्तुत फसल/प्रजाति का ही चयन किया जाये। साथ ही उन सभी फसलों/प्रजातियों के बीजों की बुवाई एवं बीज सम्बर्द्धन हेतु संस्तुत/आदर्श कृषि क्रियायें तथा विधियाँ ही अपनाई जायें, ताकि प्रजाति विशेष के वानस्पतिक, दैहिक एवं आकारिय लक्षणों की पहचान बनी रहे।
- 1.11 जनक बीज उत्पादन:- जनक बीज उत्पादन हेतु समस्त कार्यवाही भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत ब्रीडर द्वारा ही की जाती है, किन्तु मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्य के रूप में निदेशक अथवा निदेशक द्वारा नामित उपनिदेशक स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित किये गये हैं। निदेशक की अनुपलब्धता की दशा में मॉनीटरिंग टीम में बीज प्रमाणीकरण संस्था का उपनिदेशक स्तर का अधिकारी ही भाग लेगा। जनक बीज के मॉनीटरिंग से संबंधित समस्त विवरण/अभिलेख का रख-रखाव संभागीय एवं मुख्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- 1.12 यदि उत्पादक संस्था द्वारा बीजोत्पादन हेतु बीज किसी अन्य संस्था से कय किया गया है, तो तदसम्बन्धी रसीद एवं अपने कृषको हेतु निर्गत रसीद दोनों प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
2. फसल निरीक्षण- फसल निरीक्षण आख्या पुस्तिका में तीन प्रतियाँ होगी 1-कार्यालय प्रति, 2-उत्पादक प्रति, 3-निरीक्षक प्रति। कार्यालय प्रति का रख-रखाव संभागीय स्तर पर ही किया जायेगा।
- 2.1 उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले बीजोत्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम फसल मानक अपनाना एक अनिवार्यता है, जिसके लिये न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक में प्राविधानित फसल निरीक्षण की संस्तुत प्रक्रिया प्रत्येक निरीक्षक द्वारा अपनायी जायेगी।
- 2.2 प्रमाणीकरण के लिये उत्पादक/उत्पादक संस्था द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये किसी भी विवरण में, पंजीयनोपरान्त, परिवर्तन सक्षम स्तर से जॉचोपरान्त ही संस्था द्वारा स्वीकार्य होगा। बीज फसल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त बीज के स्रोत का सत्यापन पंजीयन के समय ही सुनिश्चित किया जाए। बीज स्रोत सत्यापन का मुख्य आधार बीज की क्रय रसीदें, बीज के आधान एवं आधानों पर लगे टैग्स हैं जिसका सम्पूर्ण विवरण पंजीयन आवेदन पत्र में अंकित किया जायेगा। निरीक्षकों द्वारा रसीदों व टैगों को फसल-सत्र के अन्त तक उत्पादक, संस्थावार सुरक्षित रखा जायेगा तथा फसल-सत्र की समाप्ति पर मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु गठित कमेटी द्वारा नष्टीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मुख्यालय को सूचित किया जायेगा। फसल के प्रथम निरीक्षण आख्या में बीज स्रोत के कालम में प्रयुक्त बीज का वर्ग एवं स्रोत उत्पादक संस्था का नाम अंकित करते हुए "पंजीयन के समय सत्यापित" लिखा जायेगा।
- 2.3 फसल निरीक्षण करने हेतु सभी निरीक्षकों को संभागीय स्तर से पंजीयन संख्यावार/उत्पादकवार फसल क्षेत्र आवंटित करते हुए मुख्यालय को सूचित किया जायेगा तथा मुख्यालय स्तर पर उसी के अनुरूप निरीक्षकवार आनलाईन प्रविष्टि कार्य हेतु आवंटित पासवर्ड से लिंक कर दिया जायेगा।

- 2.4 निरीक्षण के समय प्रमाणीकरण-क्षेत्र की इकाई का निर्धारण करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:-
- (क)- निरीक्षण आख्या प्रजातिवार/वर्गवार अलग-अलग निर्गत की जायेगी।
- (ख)- अधिकतम 10है0 क्षेत्रफल हेतु ही एक निरीक्षण आख्या निर्गत की जायेगी।
- (ग)- एक प्रजाति/वर्ग के वह समस्त फसल खेत जिनकी आपस की दूरी 50 मीटर से अधिक न हो, के लिए एक ही निरीक्षण आख्या परन्तु दूरी इससे अधिक होने पर अलग-अलग आख्या निर्गत की जायेगी।
- (घ)- फसल की समान अवस्था एवं वृद्धि को ध्यान में रखकर एक आख्या तैयार की जायेगी।
- (ङ)- प्रजाति की समान बीज दर से बुवाई किये गये क्षेत्र को एक आख्या में सम्मिलित किया जायेगा। यदि बीज दर को डिबलिंग अथवा अन्य विधि अपनाकर इकोनोमाइज किया गया हो तो इसकी बीज प्रमाणीकरण संस्था से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
- (च)- बीज प्रमाणीकरण में मिश्रित फसल अनुमन्य नहीं है। अतः प्रत्येक फसल केवल एकल फसल के रूप में ही सर्वद्धित की जायेगी।
- (छ)- यदि समान रूप से नहीं, परन्तु एक तिहाई से अधिक फसल गिर/लॉज कर गयी हो और फसल की उपर्युक्त अवस्था में निरीक्षण कार्य सम्भव न हो तथा पुनः फसल का खड़ा होना सम्भव न हो तो फसल को प्रमाणीकरण के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- (ज)- जहाँ तक सम्भव हो प्रमाणित बीज फसल खेत में सभी संस्तुत सस्य कृषि क्रियायें अपनायी जायेंगी।
- (झ)- इण्टरक्रॉपिंग, कम्पेनियन अथवा रैटून क्रॉपिंग प्रमाणीकरण हेतु मान्य नहीं होगी तथापि तिलहनी एवं दलहनी फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दी गयी व्यवस्था प्रभावी होगी।
- 2.5 निरीक्षण के समय खेत में गणना प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख बिन्दु नीचे उल्लिखित हैं:-
- (क)- लाइनों में सघन बुवाई की जाने वाली फसलें (गेहूँ, जौ, जई, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा व जूट आदि)
- (1) किसी भी दिशा से खेत में घुसकर किसी एक लाइन में एक स्टैप (कदम दूरी) में आने वाले पौधों/बालियों की औसत संख्या ज्ञात करना।
  - (2) 1000 पौधों/बालियों की संख्या हेतु कदम (स्टैप) की संख्या निर्धारित करना।
  - (3) रैन्डम विधि से किसी पंक्ति का निर्धारण तथा उसमें 100 बालियों/पौधों हेतु वॉछित कदम तक चलना।
  - (4) इस दूरी में आने वाले (मानकों में निर्धारित कारक) अन्य प्रजाति/अविभाज्य फसलों/आपत्तिजनक खरपतवार व अधिसूचित बीमारी से ग्रसित पौधों आदि की गणना करना।
  - (5) अन्तिम बिन्दु के समानान्तर खेत के अन्दर की कुछ दूरी पर दूसरी लाइन में इसी प्रकार कदम चलकर गणना करना तथा इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना जब तक 1000 पौधों/बालियों की गणना पूर्ण नहीं हो जाती। इस प्रकार यह एक काउन्ट/गणना कहलायेगी।
  - (6) पूरी प्रक्रिया को वॉछित काउन्ट/गणना हेतु पूरे खेत में दोहराना।
- 2.5 (ख) मध्यम दूरी की लाइनों में बुवाई वाली फसलें (सेम, लोबिया, चना, मटर, उर्द, मूँग, तोरिया, राई, सरसों, तारामीरा, तिल, सनई, व पत्ती वाली सब्जियां आदि)-
- (1) किसी भी एक दिशा से खेत में घुसकर पंक्ति के साथ खेत में चलना।
  - (2) एक कदम में आने वाले पौधों का औसत ज्ञात करना।
  - (3) एक काउन्ट (500 पौधों) हेतु आवश्यक कदमों की संख्या का निर्धारण करना।
  - (4) किसी भी बिन्दु से एक लाइन में 50 पौधों हेतु एक काउन्ट में आने वाले कदमों की दूरी में अन्य प्रजाति, अविभाज्य फसल, आपत्तिजनक खरपतवार तथा अधिसूचित बीमारी से ग्रस्त (मानकों में निर्धारित कारक) पौधों की संख्या की गणना करना।
  - (5) समानान्तर दूरी पर किसी पंक्ति में यही प्रक्रिया पुनः दस बार दोहराना तथा पूरे खेत में वॉछित काउन्ट/गणना पूर्ण करना।
- 2.5 (ग) अधिक दूरी पर पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलें (भिण्डी, बैंगन, बल्ब फसलें, मिर्च, अंडी, गोभी-वर्गीय फसलें, कपास, खीरा-वर्गीय, मूँगफली, आलू, अरहर, जड़ वाली फसलें तथा टमाटर आदि)-
- (1) किसी भी दिशा से खेत में घुसकर एक पंक्ति के साथ एक दिशा में आगे बढ़ना।
  - (2) किसी भी बिन्दु से किसी पंक्ति में दस पौधों हेतु एक काउन्ट में आने वाले अन्य प्रजाति, अविभाज्य फसलें, आपत्तिजनक खरपतवार तथा अधिसूचित बीमारी से ग्रस्त (मानकों में निर्धारित कारक) पौधों की गणना करना।
  - (3) समानान्तर रूप से निर्धारित पंक्तियों को क्रास करते हुए प्रथम बिन्दु के समानान्तर बिन्दु से पुनः उपरोक्त प्रक्रिया दोहराई जाना।
  - (4) इसी प्रक्रिया को दस बार दोहराया जाये जब तक एक काउन्ट (100पौधों) पूरा न हो जायें।
  - (5) इसी प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र में वॉछित गणना/काउन्ट पूरे किये जायें।
- 2.5 (घ) छिटकवाँ विधि से बुवाई की गयी फसलें- (बरसीम, रिजका आदि)-
- (1) किसी भी एक दिशा से खेत में प्रवेश करना।
  - (2) एक वर्ग मी0 क्षेत्रफल में पौधों की संख्या का औसत ज्ञात करना। इस हेतु बांस की एक मीटर की छड़ी से नाप करना अथवा 4 मीटर की रस्सी को वर्गाकार आकार में रखकर उसके अन्दर आने वाले पौधों की संख्या का औसत ज्ञात करना तथा उसके अन्दर अन्य प्रजाति, अविभाज्य फसलें, आपत्तिजनक खरपतवार तथा अधिसूचित बीमारियों से ग्रस्त (मानकों में निर्धारित कारक) पौधों की गणना करना।

- (3) इसी प्रकार निर्धारित दूरी तथा खेत में अन्य लोकेशन पर गणनायें लिया जाना।
  - (4) इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाये जब तक एक काउन्ट (1000 पौधों) पूरा न हो जायें।
  - (5) सम्पूर्ण प्रक्रिया को दोहराते हुए पूरे खेत में वॉछित काउन्ट पूरे कर लिये जाये।
- 2.5 (च) उपरोक्त (क),(ख),(ग),एवं (घ) बिन्दुओं के आधार पर निर्धारित मानकों से निम्न स्तर के खेत में दोहरी गणना की जायेगी। यदि विद्यमान कारक निर्धारित मानक से दो गुने से अधिक हैं, तब दोहरी गणना किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - 2.6 अपरिहार्य स्थितियों में यदि प्रमाणित बीज से प्रमाणित बीजोत्पादन लिया जाता है तो इसके पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए बीजोत्पादक को इसकी अनुमति पंजीयन से पूर्व अथवा विलम्बतम पंजीयन के एक माह के अन्दर ही संस्था मुख्यालय से लेनी होगी। विभागों, निगमों द्वारा प्रदेश स्तर पर संकलित सूचना एक साथ प्रस्तुत करनी होगी। अनुमति हेतु बीजोत्पादक संस्थाओं/बीज उत्पादकों को आधारीय बीजों की अनुपलब्धता संबंधी पर्याप्त साक्ष्य भी सम्भागीय उप निदेशक के माध्यम से संस्था मुख्यालय को प्रस्तुत करने होंगे। यह सुविधा अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में ही प्रदान की जायेगी।
  - 2.7 निरीक्षण आख्या पर सभी स्तम्भ पंजीयन अनुसार स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से पूर्ण किये जायें। यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो पंजीकरण संख्या के साथ मुख्यालय को अलग से सूचना दी जायें। निरीक्षण आख्या में निरीक्षणकर्ता द्वारा दी जाने वाली टिप्पणी बीज प्रमाणीकरण मानकों में प्राविधानित प्रत्येक बिन्दु के लिये अंकित हो। निरीक्षण आख्यायें यात्रा समाप्ति के साथ ही निरीक्षकों द्वारा कार्यालय में जमा की जायेगी।
  - 2.8 सम्भागीय/इकाई कार्यालयों द्वारा सम्भागीय निरीक्षण आख्याओं की भलीभाँति जाँच की जाये तथा पायी गयी त्रुटियों का समाधान करते हुए कृत कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराया जायें। तदोपरान्त कम्प्यूटर पर फसल निरीक्षण आख्या की आनलाईन प्रविष्टि की जायेगी।
  - 2.9 यदि किसी एक बीज उत्पादक द्वारा एक ही फसल-सत्र में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है, तो उनका निरीक्षण यथा सम्भव एक ही निरीक्षक द्वारा किया/कराया जायेगा। अतः क्षेत्रफल का आवंटन भी तदानुसार ही किया जायेगा।
  - 2.10 सामान्यतः कोई भी निरीक्षक किसी क्षेत्र विशेष में तीन फसल-सत्रों से अधिक कार्य नहीं करेंगे तथा इसके उपरान्त यथाआवश्यकता उनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया जायेगा।
  - 2.11 समस्त निरीक्षक उन्हें आवंटित क्षेत्रफल का विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षक किसी भी कारण से अस्वीकृत क्षेत्रफल की सूचना, यात्रा-समाप्ति पर, सम्भागीय/इकाई अधिकारी को देंगे। बीज प्रमाणीकरण अधिकारी अपने अधीन निरीक्षकों के कार्य का न्यूनतम 2-5 प्रतिशत गुणात्मक निरीक्षण तथा निरीक्षकों द्वारा निरस्त किये जाने वाले क्षेत्रों का शत-प्रतिशत गुणात्मक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।
  - 2.12 उप निदेशक/प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र में सम्भाग/इकाई के अधीन सम्पादित कुल कार्य का न्यूनतम 2 से 3 %गुणात्मक निरीक्षण करेंगे तथा यह प्रयास करेंगे कि अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों में से किसी का कोई क्षेत्र अथवा फसल विशेष रूप से छूटने न पाये तथा निरस्त क्षेत्रफल का गुणात्मक निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जायें।
  - 2.13 प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि निरस्त फसल खेत का यथावश्यक गुणात्मक निरीक्षण किसी न किसी अधिकारी द्वारा अवश्य कर लिया गया हो।
  - 2.14 फसल निरीक्षण के समय ही, निरीक्षण के उपरान्त, आख्या तैयार करके उत्पादक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के उपरान्त उसे उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायें। निरीक्षण आख्या में तिथि का अंकन किया जायेगा, परन्तु समय अंकित करने की बाध्यता नहीं होगी।
  - 2.15 सम्भागीय/इकाई कार्यालयों में उत्पादकों द्वारा अन्तिम निरीक्षण हेतु तिथि तथा अन्य समस्यायें अंकित करने से संबंधित पंजिका पूर्ववत् बनाये रखते हुए सूचित समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
  - 2.16 समस्त संभागीय/इकाई अधिकारियों द्वारा अपने सम्भाग/इकाई के निर्धारित कार्यक्षेत्र में रहते हुए समस्त प्रमाणीकरण कार्यवाही समय पर सम्पादित की जायें। किसी भी दशा में परिसीमाओं का अतिक्रमण न किया जाए।
  - 2.17 बीज फसलों के निरीक्षण तथा विधायन कार्यों के सम्पादन हेतु भ्रमण पर जाने से पूर्व निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा भ्रमण पंजिका में कार्यस्थल व दिनांक का स्पष्ट उल्लेख किया जायें।
  - 2.18 पुष्पावस्था एवं उसके बाद की सभी अवस्थाओं की निरीक्षण आख्याओं में फसल कटने की सम्भावित तिथि अवश्य अंकित की जाये तथा फसल कटने से पूर्व अन्तिम निरीक्षण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि निरस्तीकरण की स्थिति में उत्पादक को इतना समय मिल सकें कि वह वॉछित कार्यवाही कर पुनः निरीक्षण करा सके।
  - 2.19 अन्तिम निरीक्षण के समय उपज निर्धारण केवल अनुमान के आधार पर न करके निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक सत्र हेतु कम से कम पाँच खेतों की, जिसमें सभी फसलें सम्मिलित हो, क्रॉप कटिंग अवश्य करायें तथा बीज विशेष हेतु निर्धारित नमी स्तर के आधार पर वास्तविक उपज का ऑकलन कर निरीक्षण आख्याओं में अंकन करें।
  - 2.20 प्रत्येक उत्पादक संस्था का यह दायित्व होगा कि वह अपने बीजोत्पादन कार्यक्रम से सम्बद्ध समस्त उत्पादकों को रोगिंग एवं संस्तुत कृषि क्रियाओं, कीट एवं रोग नियंत्रण आदि के लिये आवश्यक निर्देश प्रदान करते रहें।

- 2.21 निरीक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक बीज फसल हेतु क्षेत्रफल के आधार पर मात्र निर्धारित गणनायें (COUNTS) ही ली जायें। नियमानुसार 2 हे0 क्षेत्रफल तक न्यूनतम 5 गणनायें और प्रत्येक 2 हे0 अतिरिक्त क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त गणना ली जाये।
- 2.22 स्वयं-सेवी बीज खेत में कोई ऐसा स्थान/भाग पाया जाता है जिसमें अन्य प्रजाति के पौधे या बीमारी ग्रस्त पौधों की संख्या अधिक दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में गणना प्रक्रिया को इस तरह से सुनिश्चित किया जाय, कि वह भाग गणना के अधीन आ जाय। यदि ऐसा संभव न हो सके तो विशेष परिस्थिति में इस स्थान/भाग की अलग से गणना करते हुए निरीक्षण आख्या में इसका अलग से अंकन कर दिया जाय एवं इसी आधार पर प्रमाणीकरण की अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 2.23 परसँची (cross pollinated) फसल में यदि बीज खेत का कोई हिस्सा पृथक्करण दूरी के अन्तर्गत आता है, तो ऐसी स्थिति में पुष्पावस्था के निरीक्षण के समय बीज खेत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में पृथक्करण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल को घटाया न जाय बल्कि निरीक्षण आख्या में तद्विषयक वस्तुस्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। अन्तिम निरीक्षण में प्रथम निरीक्षण के समय अस्वीकृत क्षेत्रफल को सन्दूषक मानते हुए बीज खेत के अलावा उसमें पृथक रूप से गणना की जायेगी, यदि पृथक्करण दूरी के कारण निरस्त क्षेत्रफल/सन्दूषक मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो शेष क्षेत्रफल भी नियमानुसार निरस्त हो जायेगा।

### 3. आलू बीज फसल का प्रमाणीकरण

- 3.1 आलू बीजोत्पादन हेतु कन्दों का प्रयोग काटकर कदापि न किया जाये क्योंकि इससे रोगों के प्रभाव एवं प्रकोप में वृद्धि होगी।
- 3.2 आलू बीज फसल में माहूँ कीट की गणना एवं लॉक कटाई के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय:-
- (क)- अपने क्षेत्र में लॉक कटाई की अन्तिम तिथि निर्धारित करने का दायित्व प्रत्येक सम्भाग का होगा। इस हेतु निकटवर्ती आलू बीजोत्पादन प्रक्षेत्र पर माहूँ की गणना का कार्य प्रत्येक वर्ष 25 दिसम्बर से प्रारम्भ कर दिया जाये।
- (ख)- खेत में 15"X11" आकार की एक ट्रे रखी जाये जिसके भीतर पीले रंग का कागज चिपकाकर ट्रे का ¾ भाग पानी से भर दिया जायें। प्रतिदिन ट्रे में माहूँ कीट का अवलोकन प्रातः आठ बजे से पूर्व किया जायें।
- (ग)- उक्त के अतिरिक्त पत्तियों पर माहूँ कीट की गणना प्रतिदिन की जाय। एक गणना हेतु रैण्डम विधि से 33 पौधों से तीन-तीन पत्तियों तथा 34वें पौधे से एक पत्ती पर गणना की जायें। इस प्रकार की 5 गणनायें की जायें। ध्यान रहे पत्तियों पौधों के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व करती हों। यह प्रक्रिया नियमित रूप से तब तक दोहराई जाती रहें जब तक माहूँ कीट पौधों पर प्रकट न हों। इस हेतु सम्भागीय स्तर पर एक पंजिका रखी जाये, जिसमें गणना की प्रविष्टियां हो तथा अधिकारी स्तर से भी पर्यवेक्षण किया जाये।
- आलू की माहूँ (माइजस परसीकी) जो रोग का मुख्य वाहक है, के पंखहीन कीट का रंग हरा, पीला, हल्का जामुनी, हल्का गुलाबी होता है तथा सिर पर मध्यम वर्गाकार गड्ढा से होता है। उदर नुकीला एवं मध्यम नुकीला, मध्य में बेलनाकार व फूला हुआ होता है, जिस पर एक या दो गहरें रंग की धारियां एवं धब्बे होते हैं।
- (घ)- लगातार दो दिन तक माहूँ कीट प्रकट होने की दशा में उसके बाद दसवें दिन की तिथि लॉक कटाई की अन्तिम तिथि के रूप में सम्भाग में निर्धारित कर दी जाये, जिसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाय। तिथि निर्धारण के शीघ्रतम उपरान्त संबंधित बीजोत्पादक/संस्थाओं/बीजोत्पादकों की फसल का निरीक्षण सम्पन्न कर/करा दिया जाये तथा तत्संबंधित निरीक्षण आख्या में आलू लॉक कटाई की तिथि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश इंगित किये जायें। लॉक की कटाई जमीन की सतह से सटाकर इस प्रकार की जाये कि लॉक का कोई भी भाग जमीन के ऊपर नहीं रहें।
- 3.3 लॉक की कटाई के उपरान्त लॉक को खेत से बाहर निकाल दिया जाये तथा किसी भी प्रकार की पुनः वृद्धि को रोकने के लिये निरीक्षण आख्या में आवश्यक निर्देश भी दिये जायें। पुनः दस दिन बाद री-ग्रोथ स्टेज का निरीक्षण कर लिया जाये। कल्ले निकलने अथवा लॉक की कटाई न किये जाने की स्थिति में फसल प्रमाणीकरण के अयोग्य घोषित कर दी जायेगी।
- 3.4 अन्तिम निरीक्षण के समय आख्या में क्राप कटिंग के आधार पर उपज का उल्लेख अवश्य किया जाय, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी:-
- (क)- 1 हैक्टेयर खेत में कम से कम 5 स्थानों पर 2-2 मीटर लम्बी गूल/मंड की खुदाई की जाय। प्राप्त कन्दों से 3.0 से0मी0 से 5.5 से0मी0 आकार अथवा समानुपातिक भार 25 से 125 ग्राम तक के आलू छोट लिए जायें।
- (ख)- 10 मेड़ों की चौड़ाई 2-3 स्थानों पर नाप ली जाय तथा उसे 10 से भाग देकर एक मेड़ की औसत चौड़ाई ज्ञात कर ली जाये। इस चौड़ाई को 10 मीटर से गुणा करके वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकाल कर निम्नानुसार उपज प्रति हैक्टेयर ज्ञात की जायें:-

## उदाहरण

(1)–5 स्थानों पर दो-दो मीटर उपज का योग	अनुमानित 12 कि०ग्रा०
(2)–बीज आकार के आलू का भार	अनुमानित 8 कि०ग्रा०
(3)–10 मेंडों की चौड़ाई	4.8 मीटर
(4)– एक मेंड की औसत चौड़ाई 4.8/10 मी०	0.48 मीटर
(5)–खुदाई किये गये खेत का क्षेत्रफल 5मेंडX2मी० X0.48 मी०	=4.8 वर्ग मीटर
(6)–प्रति हैक्टेयर बीज की उपज	8कि०ग्रा० X10,000 वर्गमीटर/4.8 वर्ग मीटर =16666 कि०ग्रा०=166.66 कु०

निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की दशा में उक्त बीज कंदों की मात्रात्मक सीमा तक संस्था द्वारा टैग्स प्रदान किये जा सकेंगे।

- 3.5 कन्दों की ऊपरी सतह में कठोरता लाने हेतु लॉक कटाई के लगभग 20 दिन पश्चात बीज कंदों की खुदाई कर कंदों को छाया में एकत्रित किया जायें।
- 3.6 तत्पश्चात कंदों की छँटाई की जायें। कटे हुए, रगड़ खाये हुए, फटे हुए, सिकुड़े हुए, अनियमित आकार, कीड़ों द्वारा क्षतिग्रस्त एवं रोग ग्रसित कंदों को अलग कर दिया जायें। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त कन्दों की अधिकतम 50 किग्रा० की मात्रा के बोरो में पैकिंग करायी जाये।
- 3.7 कामन स्कैब एवं ब्लैक स्कर्फ से ग्रसित कंद चाहे भले ही बीज मानकों के अनुरूप हों परन्तु कंदों का संस्तुत रसायन से उपचार किया जाना आवश्यक है तथा इसके पश्चात ही पैकिंग व टैगिंग कराने के उपरान्त शीतग्रह में भण्डारित किया जायें। लार्ज साइज कन्दों की पैकिंग उत्पादक संस्था के अनुरोध पर 50 किग्रा० साइज के अलग बोरो में करायी जायें तथा टैग एवं बोरो पर लार्ज साइज लिखा जाये।
- 3.8 संस्था द्वारा प्रमाणित किये गये आलू कंदों की आगामी फसलसत्र में बुवाई हेतु शीतगृह से निष्कासन के समय संस्था प्रतिनिधि की उपस्थिति में बीज बोरों को खोलकर छाया में सुखाने के उपरान्त कंदों की छँटाई की जायें। जिसमें सड़े-गले कंद अलग करते हुए पुनः बोराबंदी तथा टैगिंग करायी जाय। इसी समय पुराने टैग्स एकत्र कर संस्था कार्यालय में जमा करा लियें जायें। नये टैग्स किसी भी दशा में अधिकतम मूल प्रमाणीकरण के समय प्रदत्त टैग्स के समतुल्य ही निर्गत किये जा सकेंगे और केवल यही टैग्स अनुवर्ती प्रमाणित बीजोत्पादन में बीजस्रोत सत्यापन का आधार बनेंगे।

## 4. अन्तिम निरीक्षण/पुनः निरीक्षण

- 4.1 अन्तिम निरीक्षण के समय फसल यदि किसी ऐसे कारक से खेत स्तर पर अस्वीकृत हो जाती है जिसके सुधार के उपरान्त, फसल की गुणवत्ता को हानि पहुँचाये बिना, फसल मानकों के अनुरूप हो सकती है, तो उत्पादक के लिखित अनुरोध पर बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उस खेत के पुनः निरीक्षण किये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु पुनः निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में संस्था को देय होगा।
- 4.2 निरीक्षक द्वारा फसल के अन्तिम निरीक्षण के समय फसल की कटाई, थ्रेसिंग व बीजों के परिवहन में मिश्रण की होने वाली संभावनाओं से बचाव हेतु आवश्यक निर्देश भी बीजोत्पादक को दिये जायेंगे।
- 4.3 बीज खेतों का सम्पूर्ण क्षेत्रफल एवं उपज से सम्बन्धित विवरण (सीड डारेक्टरी) कम्प्यूटर से आनलाईन प्राप्त करते हुए जॉचोपरान्त बीज उत्पादकों को उपलब्ध कराई जायेगी।

## 5. बीज विधायन संयंत्र की स्थापना, पंजीकरण एवं नवीनीकरण

विधायन/ग्रेडिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बीज के भौतिक लक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए, उनके आकार प्रकार एवं प्रकृति के आधार पर विधायित बीज मात्रा में एकरूपता लाना है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधि पर आधारित बीज विधायन संयंत्र की स्थापना प्रमाणीकरण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बीज की भौतिक, आकारीय एवं कार्यात्मक लक्षणों के आधार पर बीज विधायन संयंत्र की स्थापना एवं पंजीकरण हेतु निर्धारित मापदण्ड निम्नवत है:—

- 5.1 बीज विधायन संयंत्र (ग्रेडर) की क्षमता, फ्री फ्लोइंग बीजों के आधार पर, कम से कम 10कु०/घंटा होनी चाहिए।
- 5.2 बीजोत्पादक संस्था द्वारा आयोजित बीजोत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित फसलों को ध्यान में रखते हुए विधायन संयंत्र पर अन्य यंत्रों की उपलब्धता भी अनिवार्य होगी। जैसे नमीमापक यंत्र, बीज उपचार यंत्र, सिलाई मशीन, प्लेटफार्म बैलेन्स, टक (कॉटा बॉट), 5 कि०ग्रा० क्षमता वाली पैन बैलेन्स, इण्डेन्टिड सिलेन्डर, आर्द्रता मापी यंत्र, डीजल जनरेटर आदि। गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु प्री-क्लीनर, ग्रेविटी सेपरेटर, ब्रायर आदि भी लगाया जाये।

- 5.3 जिन उत्पादक संस्थाओं द्वारा बरसीम के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है इसके लिए ग्रेविटी सेपरेटर तथा मक्का उत्पादन हेतु कॉब सैलर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- 5.4 संयंत्र पर 500 कु0 क्षमता का वर्किंग प्लेस तथा 2000कु0 भण्डारण क्षमता का गोदाम होना आवश्यक है।
- 5.5 बीज विधायन संयंत्र पर बीजोत्पादक संस्था द्वारा तैनात संयंत्र प्रभारी/संचालक को बीजों के विधायन एवं रखरखाव का पर्याप्त तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।
- 5.6 बीजों की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से बीज संयंत्र का प्रयोग प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त अन्यथा न किया जाय। साथ ही दाल मिल, राईस मिल, पलोर मिल आदि के परिसर में भी संयंत्र की स्थापना बीज गुणात्मकता की दृष्टि से वर्जित होगी।
- 5.7 भण्डारित बीजों को क्षति से बचाने के लिए क्रेट, तिरपाल आदि की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- 5.8 विधायन संयंत्र के स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए।
- 5.9 बीजों के कारोबार हेतु कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त बीज अनुज्ञापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
- 5.10 उक्तानुसार सूचनाओं सम्भागीय उप निदेशक की जाँच आख्या एवं संस्तुति तथा पंजीकरण शुल्क के विवरण के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संयंत्र का पंजीकरण वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात् 31 मार्च के लिये किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र 30 अप्रैल तक सामान्य नवीनीकरण शुल्क के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन करने पर रू0 1100/- प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
- 5.11 पूर्व पंजीकृत बीज विधायन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन करते समय क्य की गई विधायन मशीनों की क्य रसीदों तथा सम्भागीय उप निदेशक की जाँच आख्या संस्तुति सहित मुख्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

- 5.12 पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार होगा—  
 (क) पंजीकरण रू0 7500/प्रति संयंत्र।  
 (ख) नवीनीकरण शुल्क रू0 3000/प्रतिवर्ष की दर से रू0 6000 न्यूनतम दो वर्ष के लिए (30 अप्रैल तक) इसके बाद विलम्ब शुल्क रू0 1100 प्रति माह की दर से देय।  
 (ग) वित्तीय वर्ष की छमाही तक नवीनीकरण न कराये जाने पर संयंत्र का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5.13 संयंत्र पर बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रतिनिधि के बैठने एवं प्रमाणीकरण सामग्री के रख-रखाव/सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो।

## 6. बीज विधायन

- 6.1 खेत स्तर पर मानकों के अनुरूप पाये गये फसल बीजों का विधायन संस्था में पंजीकृत तथा संस्था से, मान्यता प्राप्त बीज विधायन संयंत्रों पर संस्था के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया जायेगा। फसल, प्रजाति, उत्पादक एवं वर्गवार अन्तःग्रहित बीज मात्रा का भण्डारण अलग-अलग चट्टों में स्टैक कार्ड लगाते हुए किया जाये। बीज लाट का भौतिक/मात्रात्मक आकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में विनिर्दिष्ट मात्रा के अनुरूप ही रखा जाये।
- 6.2 ऐसे समस्त बीज उत्पादकों, जिनके पास अपना विधायन संयंत्र नहीं है को प्रक्षेत्र स्तर पर फसल स्वीकृत होने के उपरान्त बीज अन्तःग्रहण विवरण प्रस्तुत करने के समय ही यह सूचित करना होगा कि वे अपने उत्पाद का विधायन अमुक बीज विधायन संयंत्र पर करायेंगे। वे उत्पादक जो अपने उत्पाद का विधायन संस्था के संभागीय/इकाई कार्यालय के कार्य क्षेत्र (जहाँ उत्पादन किया गया है) से अलग संस्था के दूसरे संभाग के अन्तर्गत किसी संयंत्र पर कराना चाहते हों, तो ऐसे उत्पादकों की समस्त बीज मात्रा (खेत स्तर पर अनुमोदित) संस्था प्रतिनिधि द्वारा 50 कि0ग्रा0 (अधिकतम) क्षमता वाले बोरों में सील कराया जाये। संस्था कार्यालय द्वारा तत्संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करते हुए सम्बन्धित बीजोत्पादकों का खेत स्तर तक का आन लाइन उपलब्ध कम्प्यूटराईज्ड विवरण (seed directory) संस्था, के उस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा जिसके द्वारा विधायन/प्रमाणीकरण कार्य कराया जाना है, जिसमें स्थानान्तरित बीज की मात्रा, गुणता तथा अभी तक विधायन/प्रमाणीकरण न कराये जाने का प्रमाण मिल सके। इसी प्रकार संस्था कार्यालय, जहाँ विधायन/प्रमाणीकरण कार्य कराया जाना है, के सम्भागीय/इकाई अधिकारी भी इसका सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बीजोत्पादक/बीजोत्पादक संस्था के मुख्यालय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगा। दोनों ही सम्भाग इसकी सूचना मुख्यालय देंगे। यदि किसी उत्पादक संस्था द्वारा बीज उत्पादन ऐसे सम्भाग में कराया गया हो जहाँ उसका बीज विधायन संयंत्र न हो तथा अन्य सम्भाग में उस उत्पादक संस्था का बीज विधायन संयंत्र स्थापित हो जिस पर दूसरे सम्भाग में उत्पादित मात्रा, उत्पादक कृषकों द्वारा सीधे अन्तःग्रहित करायी गयी हो तो सीलिंग कराया जाना आवश्यक नहीं होगा परन्तु सीधे अन्तःग्रहण के प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। यदि उत्पादक संस्था द्वारा स्वयं अन्तःग्रहण कर दूसरे सम्भाग स्थित अपने संयंत्र पर आपूर्ति की जानी हो तो सम्पूर्ण मात्रा को सील कराया जाना आवश्यक होगा। विधायन कार्य निर्धारित आकार की जाली प्रयोग करते हुए कराया जाये। विधायित बीज में बॉटम स्क्रीन के आकार से कम आकार वाले बीजों की मात्रा (अण्डर साइज) किसी भी दशा में वजन के आधार पर 5%से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.3

बीज विधायन संयंत्र पर बीज के अन्तःग्रहण की तिथियों संस्था द्वारा निम्नवत निर्धारित हैं:-  
बीज उत्पादक संस्था द्वारा अपने बीज उत्पादको के माध्यम से भण्डारित की गई अन्तःग्रहित बीज मात्रा का विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा

**फसल सत्र****अन्तिम तिथि****अभ्युक्ति**

खरीफ  
रबी  
जायद

15 फरवरी  
15 जून  
15 अक्टूबर

सामयिक वितरण प्रणाली को पर्याप्तसुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये रखने के उद्देश्य से सभी बीजों का विधायन/प्रमाणीकरण मंडाई के शीघ्रतम उपरान्त आवश्यक होगा। अन्तिम तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट तिथियों केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मान्य होंगी।

अन्तःग्रहीत मात्रा का सत्यापन अन्तःग्रहण के उपरान्त संभागीय अधिकारी द्वारा गठित संयुक्त टीम से करते हुए इसकी सूचना संस्था कम्प्यूटर पर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये। अन्तःग्रहित मात्रा के सत्यापन में सावधानी बरती जाये। अनुमानित उपज से अधिक मात्रा का सत्यापन कदापि न किया जाये। विशेष दशा में निदेशक/सम्भागीय अधिकारी की समीक्षा/अनुमति के उपरान्त ही अनुमानित से अधिक उपज को मान्य किया जा सकेगा। यह समीक्षा केवल राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु ही मान्य होगी, जहाँ पर वैध उत्पादन रिकार्ड उपलब्ध होता है।

6.4

(अ)-मूँगफली एवं आलू फसलों के अतिरिक्त सभी प्रमाणित बीजों का विधायन एवं प्रमाणीकरण केवल पंजीकृत बीज विधायन संयंत्रों पर ही किया जायेगा।

(ब)-कायिक रूप से प्रवर्द्धित फसलें तथा आलू,मूँगफली आदि को विधायन संयंत्र पर लाना आवश्यक नहीं होगा। इन फसलों से संबंधित लाट निर्धारण की प्रक्रिया हेतु अनुसरणीय विधि न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी, परन्तु अन्तर बस इतना होगा कि बीज विधायन संयंत्र को प्रदत्त कूटॉक के स्थान पर मुख्यालय द्वारा संस्था सम्भागीय/इकाई कार्यालयों को आवंटित कूटॉक को प्रयोग किया जायेगा, जो नीचे दिया जा रहा है:-

क्र०सं०	सम्भाग/इकाई	कूटॉक
1.	आगरा	501
2.	इटावा	502
3.	इलाहाबाद	503
4.	उरई	504
5.	कानपुर	505
6.	गोरखपुर	506
7.	फैजाबाद	507
8.	बरेली	508
9.	मुरादाबाद	509
10.	मेरठ	510
11.	रामपुर(बिलासपुर)	511
12.	लखनऊ	512
13.	लखीमपुर-खीरी	513
14.	वाराणसी	514
15.	अलीगढ़	515
16.	पीलीभीत	516
17.	मुजफ्फरनगर	519
18.	पूरनपुर	520

6.5

बीज विधायन संयंत्रों पर निरीक्षकों की तैनाती इस प्रकार नियंत्रित की जायेगी ताकि प्रत्येक निरीक्षक को कार्य वितरण में समानता बनी रहे।

6.6

बीज विधायन की कार्यवाही निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए ही की जाय तथा समस्त विधायन संबंधी कार्यवाही संस्था प्रतिनिधि की उपस्थिति/पर्यवेक्षण में ही सम्पादित हो।

6.7

विधायन के समय संयंत्र पर तैनात निरीक्षक द्वारा प्रत्येक 2-3 घंटे के अन्तराल पर बुश एवं जालियों की जाँच व सफाई करायी जाती रहनी चाहिए।

6.8

पुनः विधायन, पुनः न्यादर्शवरण अथवा हैण्डपिकिंग आदि की स्वीकृति संस्था मुख्यालय स्तर से ही प्रदान की जायेगी इसके लिए उत्पादक संस्था से लिखित अनुरोध, परीक्षण परिणाम की छायाप्रति आदि अभिलेख प्राप्त होने पर संस्था के सम्भागीय अधिकारी अपनी अनुशंसा सहित आवेदन को मुख्यालय अग्रसारित करेंगे।

6.9

किसी भी बीज लाट के मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर उत्पादक/उत्पादक संस्था बीज प्रमाणीकरण संस्था से बीज लाट के पुनः विधायन, पुनः न्यादर्शवरण तथा पुनः परीक्षण हेतु अनुरोध कर सकती हैं। परन्तु यह कार्यवाही करने हेतु संस्था द्वारा केवल एक बार ही अनुमति प्रदान की जायेगी।



- 6.10 प्रमाणीकरण हेतु विचाराधीन आधारीय अथवा प्रमाणित वर्ग के किसी भी बीज लॉट में घुन एवं कीट का प्रभाव मक्का व दलहनी बीजों में 1.00% तथा अन्य में 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। विधायन संयंत्र परिसर में किसी भी दशा में जीवित घुन विद्यमान न हो, नहीं तो जीवित घुन प्रमाणित किये जा रहे बीज में प्रवेश कर जाने के कारण बीज की वैध अवधि तक बीज का अंकुरण यथावत् बनाये रहना सम्भव न हो पायेगा। ऐसी दशा में बीज प्रमाणीकरण की समस्त कार्यवाहियाँ तत्काल स्थगित करते हुए परिसर एवं स्टॉक का उपचार/धूमिकरण कराया जाये और जीवित घुन/कीट की समाप्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुवर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जायें। किसी भी स्थिति में बीज न्यादर्श में घुन/कीट की विद्यमानता प्रमाणीकरण के मध्य बरती गयी शिथिलता मानी जायेगी।
- 6.11 प्रमाणीकरण प्रक्रिया में नमी तत्व एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है जिसका निर्धारण बीज के लाट पर टैगिंग कार्यवाही प्रारम्भ करने से ठीक पहले किया जाना अनिवार्य है। नमी तत्व का निर्धारण संयंत्र पर उपलब्ध नमीमापक से किया जाये। प्रत्येक संयंत्र पर नमीमापक ठीक दशा (working condition) में रहना आवश्यक होगा।
- 6.12 यदि कोई बीज फसल/बीज लाट उस वर्ग में प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है जिस वर्ग में प्रमाणीकरण हेतु संस्था द्वारा पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत वर्ग के ठीक नीचे वाली श्रेणी में निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक/उत्पादक संस्था के लिखित अनुरोध पर ऐसे किसी भी बीज फसल/बीज लाट को प्रस्तावित श्रेणी से ठीक नीचे वाली श्रेणी में अनुमोदित करते हुए प्रमाणित किया जा सकता है। यह प्राविधान संकर प्रजातियों पर प्रभावी नहीं होगा।

## 7. न्यादर्शवरण एवं परीक्षण

(अ) विधायन उपरान्त निरीक्षक द्वारा लॉटवार न्यादर्शवरण कर न्यादर्श मुख्यालय कोडिंग, अनुभाग को भेजा जायेगा।

(ब) कोडिंग अनुभाग द्वारा न्यादर्शों का डि-कोडिंग करते हुए अलग-अलग बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजा जायेगा तथा प्रयोगशाला से न्यादर्श परीक्षण परिणाम प्राप्त होने पर आनलाईन सापटवेयर/पुनः डि-कोड कर सम्भागीय कार्यालय को ई-मेल किया जायेगा।

(स) बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त बीज को निर्धारित आकार एवं विवरण छपे आधानों/थैलों में भरकर मशीन द्वारा सिलाई कर दी जाय, सिलाई के साथ ही इन थैलों पर टैग तथा सील लगा दी जायें। आलू मूँगफली आदि फसलों की टैगिंग हाथ की सिलाई से भी करायी जा सकती है।

7.1 प्रत्येक बीज लाट से न्यादर्शवरण, भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित निरीक्षक द्वारा संबंधित उत्पादक की उपस्थिति में ही किया जाना अनिवार्य है। इस कार्यवाही में होमोजीनस बीज लाट से प्राइमरी न्यादर्श के रूप में आहरित बीज मात्रा से कम्पोजिट न्यादर्श तैयार किया जाये, जिसे मिश्रण एवं विभाजन प्रक्रिया द्वारा तीन भागों में विभक्त कर, नमूने की निर्धारित बीज मात्रा का प्रथम भाग कोडिंग अनुभाग को परीक्षणार्थ, द्वितीय भाग उत्पादक को तथा तृतीय भाग सम्भागीय कार्यालय को रक्षित न्यादर्श के रूप में उपलब्ध कराया जाये।

7.2 बीज परीक्षण के उद्देश्य से संस्था द्वारा लिये जाने वाले न्यादर्श के मुख्यतया दो उद्देश्य हैं, सर्वप्रथम मूल प्रमाणीकरण के उद्देश्य से न्यादर्शवरण तथा द्वितीय वैधकरण हेतु न्यादर्शवरण। इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रायः 4 भिन्न अवस्थाओं (stages) में न्यादर्शवरण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जो निम्नवत् हैं:-

(1)-लाट के विधायनोपरान्त बीज आधानों से।

(2)-बीज के विधायनोपरान्त ढेर के रूप में लाट की एकत्रित मात्रा से।

(3)-विधायन के मध्य एक निर्धारित निश्चित अन्तराल पर प्राथमिक, न्यादर्शवरण प्रक्रिया अपनाकर।

(4)-किसी भी प्रमाणित बीज लाट से वैधकरण हेतु भण्डारित आधानों से।

मूल प्रमाणीकरण के उद्देश्य से लिया जाने वाला न्यादर्श विधायन के उपरान्त परन्तु उपचार से पूर्व आहरित करना अनिवार्य होगा।

7.3 बीज परीक्षण हेतु न्यादर्शवरण के समय निम्न बिन्दुओं को अवश्य ध्यान में रखा जाय:-

(क)-न्यादर्शवरण लाट विशेष जिससे न्यादर्श आहरित करना है, के बोरो की संख्या तथा बीज लाट की मात्रा के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(ख)-सभी आधानों को न्यादर्शवरण हेतु सुविधाजनक स्थिति में रखा जाय।

(ग)-प्रत्येक आधान के फसल/प्रजाति व लाट नम्बर की जाँच की जाय।

(घ)-प्रत्येक लाट के कुल आधानों की संख्या तथा जिन आधानों से न्यादर्श लेना है उनकी संख्या निर्धारित की जाये।

(ङ)-विधायन के मध्य न्यादर्शवरण की प्रक्रिया अपनाते से पूर्व संबंधित लाट की मात्रा तथा आकार को चिन्हित कर लिया जाये ताकि प्राथमिक न्यादर्शों की संख्या तथा इनकी बारम्बारता (frequency) सुनिश्चित की जा सकें।

- 7.4 न्यादर्शवरण प्रत्येक बीज लाट की अलग-अलग ही करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बीज लाट का अपना एक स्तर होता है जो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार अवयवों में भिन्न होता है। न्यादर्शवरण हेतु विचाराधीन बीज लाट अपने आप में पूर्णतः एकसा होना अनिवार्य हैं। यह प्रयत्न किया जाये कि बीज लाट के प्रत्येक भाग से उसी अनुपात में प्राथमिक न्यादर्श लिये जायें, जिस अनुपात में बीज भण्डारित हैं।

(क)—बीज लाट के बोरों में भण्डारित होने की स्थिति में न्यादर्शवरण प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:—

5 बोरों/आधानों तक	प्रत्येक बोरों/आधान से न्यादर्श प्राप्त किया जाये परन्तु किसी भी दशा में प्राथमिक न्यादर्शों की संख्या 5 से कम न हो।
6 से 30 बोरों/आधानों तक	प्रत्येक 3 में से एक बोरों से परन्तु कम से कम 5 प्राथमिक न्यादर्श प्राप्त किये जाये।
30 बोरों/आधानों से अधिक	प्रत्येक 5 में से एक बोरे से परन्तु कम से कम 10 प्राथमिक न्यादर्श प्राप्त किये जाये।

(ख)—बीज लाट के ढेर में भण्डारित होने की स्थिति में प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:—

50 कि०ग्रा० तक मात्रा	कम से कम 3 प्राथमिक न्यादर्श।
➤ 50 से 500 कि०ग्रा० मात्रा	कम से कम 5 प्राथमिक न्यादर्श।
➤ 500 से 3000 कि०ग्रा० मात्रा	प्रत्येक 300 कि०ग्रा० मात्रा पर एक परन्तु कम से कम 5 प्राथमिक न्यादर्श प्राप्त किये जायें।
➤ 3000 से 20,000 कि०ग्रा० तक	प्रत्येक 500कि०ग्रा० मात्रा पर एक परन्तु कम से कम 10 प्राथमिक न्यादर्श प्राप्त किये जाये।

(ग)— अति विशिष्ट परिस्थितियों में यदि किसी उत्पादक संस्था को गुणदोष के आधार पर संस्था द्वारा अण्डरटैकिंग के आधार पर टैक्स प्रदान करने की अनुमति/सुविधा प्रदान कर दी जाती है, तो इसके लिए यह आवश्यक होगा कि विधायन प्रक्रिया के मध्य परन्तु उपचार से पूर्व एक निर्धारित अन्तराल पर एक-एक प्राथमिक न्यादर्श

(Primary Sample) संस्था निरीक्षक द्वारा लिया जाता रहे। इस प्रकार प्राप्त प्राथमिक न्यादर्शों से निर्मित कम्पोजिट न्यादर्श बीज मात्रा को निर्धारित विधि के अनुसार तीन न्यादर्शों में पूर्ववत् विभक्त किया जाये और कम्पोजिट न्यादर्श की अवशेष मात्रा तत्संबंधी मूल बीज लाट में सम्मिलित कर दी जाये।

- 7.5 न्यादर्श से संबंधित आवश्यक विवरण, पर्णिका पर अंकित किये जायें तथा न्यादर्शवरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जाये। पुनः परीक्षण/पुनः विधायनोपरान्त प्रेषित न्यादर्श की पर्णिका में विवरण सहित, परीक्षण के कारण एवं मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमति के संदर्भ का उल्लेख अवश्य किया जाय। कोडिंग अनुभाग को प्रेषित किये जाने वाले नमूनों की कोड की गोपनीयता भंग होने की स्थिति में कोड निर्गतकर्ता उत्तरदायी होंगे।
- 7.6 नमूने की पैकिंग हेतु जिपलॉक पालिथिन तथा औसत आकार की सफेद कपड़े (मारकीन) की थैली का प्रयोग किया जायें, कोडिंग अनुभाग को भेजे जाने वाले न्यादर्श की थैली की सिलाई अन्दर की तरफ हो तथा थैली पर काले रंग की स्केच से (मार्कर नहीं) केवल फसल/प्रजाति का नाम हिन्दी में अंकित किया जायें। थैली के ऊपर उत्पादक/उत्पादक संस्था के पहचान से सम्बन्धित कोई भी चिन्ह, अण्डरलाइन, विन्दु का निशान अथवा फसल/प्रजाति का अंकन बहुत बड़े अथवा बहुत छोटे साइज में न किया जायें (यह अंकन लगभग 01 सेन्टीमीटर के अक्षरों में किये जायें)। रक्षित न्यादर्शों की थैलियों पर लाट्स संख्या एवं बीज का वर्ग भी अंकित किया जायें।
- 7.7 बीज नमूनों को लॉख एवं ब्रॉससील द्वारा सील किया जाये एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में आधानों को सील करने हेतु लेडसील एवं अलग-अलग प्लायर प्रयोग किये जाये तथा इससे संबंधित विवरण संभागीय कार्यालय पर उपलब्ध रहे तथा इसकी सूचना न्यादर्श प्रेषण प्रोफार्मा पर अंकित की जाय एवं कम्प्यूटर पर आनलाईन प्रविष्टि की जाय।
- 7.8 न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में विनिर्दिष्ट बीज मात्रा का नमूना कोडिंग अनुभाग (मु०) को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित मात्रा से कम बीज मात्रा का नमूना, कोडिंग अनुभाग में स्वीकार्य नहीं होगा, जिसके लिए न्यादर्शवरणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 7.9 उत्पादक/उत्पादक संस्था को संबंधित रक्षित न्यादर्श की प्राप्ति लेकर ही रक्षित नमूना हस्तगत किया जायें।
- 7.10 न्यादर्श आहरित करने की तिथि के तुरन्त बाद अथवा विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर ही न्यादर्शों को संस्था वाहक के माध्यम से कोडिंग अनुभाग (मु०) को अवश्य प्राप्त करा दिया जाये। क्षतिग्रस्त, भीगी अथवा फटी हुई थैलियों में और सील एवं सिलाई संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में न्यादर्श कोडिंग अनुभाग में स्वीकार्य नहीं होंगे और न ही इस प्रकार के नमूने संभागीय कार्यालय स्तर पर भण्डारित किये जायें। नमूना को प्रेषित करने हेतु प्रयुक्त कन्टेनर/बोरी को भलीभाँति सील करने के उपरान्त ही वाहक को हस्तगत कराया जाये।
- 7.11 नमूने में, पहचाने जाने वाले अन्य प्रजाति (O.D.V) के बीजों की निर्धारित मानक सीमा से कहीं अधिक विद्यमानता फसल निरीक्षण में शिथिलता का परिचायक है। अतः यह नितान्त आवश्यक होगा कि फसल निरीक्षण के प्रत्येक चरण में प्रभावी रोगिंग सुनिश्चित करायी जाये। इस संबंध में संभागीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फसलों का निर्धारित गुणात्मक निरीक्षण यथासमय संपादित करते रहे तथा अपनी विशेष समीक्षात्मक रिपोर्ट मुख्यालय भी प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। जिससे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकें।

- 7.12 गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य से दो से तीन प्रतिशत नमूने संभागीय उप निदेशक/प्रभारी अधिकारी द्वारा तथा दो से तीन प्रतिशत बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा आहरित कर कोडिंग अनुभाग (मु0) को प्रेषित किये जायें, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक तकनीकी कर्मों के कार्यक्षेत्र की सभी फसलें समानरूप से आच्छादित होनी चाहिए। परिणामों की भिन्नता सहनशीलता सीमा से अधिक होने पर संबंधित निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट 15 दिन में मुख्यालय प्रेषित की जाये। विवादास्पद बीज लाट का गुणात्मक संयुक्त न्यादर्शवरण अनिवार्य होगा। आहरित न्यादर्शों का लॉटवार पूर्ण विधायन विवरण केन्द्रीय न्यादर्श पंजिका एवं साथ ही साथ कम्प्यूटर पर भी दर्ज कर दिया जाय।
- 7.13 बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त न्यादर्श परीक्षण अभिलेख में प्रत्येक लाट के समकक्ष कूटांक के सम्मुख संबंधित स्तम्भों में परिणामों का अंकन किया जायें। परिणामों से संबंधित सूचना उत्पादक/उत्पादक संस्था को भी यथाशीघ्र दी जाये।
- 7.14 उत्पादक/उत्पादक संस्था से पैकिंग एवं टैगिंग हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 7.15 बीज न्यादर्श, बीज परीक्षण प्रयोगशाला में प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्रतम परन्तु विलम्बतम 30 दिन की अवधि में न्यादर्शों का परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा परन्तु फिर भी यदि अमुक न्यादर्श के परिणाम संभागीय/इकाई कार्यालय को निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होते हैं तो तत्काल इसकी सूचना कोडिंग अनुभाग को देते हुए मुख्यालय को भी सूचित किया जाये।
- 7.16 बीज न्यादर्शवरण, प्रेषण एवं परीक्षण स्तरों पर गोपनीय एवं निष्पक्षतापूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोड प्रणाली हेतु मुख्यालय पर केन्द्रीकृत कोडिंग अनुभाग का गठन किया गया है। जिसका संचालन (मु0) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्भागों से प्राप्त न्यादर्शों को कोड कर संस्था की विभिन्न पांचों प्रयोगशालाओं से परीक्षण कराने तथा प्रयोगशाला से प्राप्त परिणामों को आनलाइन साफ्टवेयर/पुनः डिकोड कर परिणाम को ई-मेल द्वारा सम्भागों को प्रेषित किये जायेंगे। कोडिंग अनुभाग सीधे निदेशक के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहेगा।
- 7.17 गुणात्मक न्यादर्शवरण, अधोमानक बीज लॉट्स के गुणात्मक न्यादर्शवरण के परीक्षण परिणामों का पूर्व/मूल परिणामों के आधार पर तुलनात्मक सहनशीलता सीमा के अन्तर्गत आने पर विश्लेषण करते हुए ही गुण-दोष के आधार पर अनुवर्ती/प्रमाणीकरण कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी। विधायन के उपरान्त सामान्य न्यादर्शवरण के बाद गुणात्मक न्यादर्शवरण एक सप्ताह के अन्दर ही किये जाने का प्रयास किया जाये तथा मूल न्यादर्श के परिणाम पैकिंग हेतु लागू करने से पूर्व गुणात्मक न्यादर्श के परिणाम भी संज्ञान में लेकर तदनुसार निर्णय लिया जाये।
- 7.18 प्रयोगशाला परिणामों के आधार पर अधोमानक बीज लाट की मासिक समीक्षा निर्धारित प्रारूपों पर उपनिदेशक/प्रभारी संभाग द्वारा की जाए तथा महत्वपूर्ण विशिष्टियों सहित तत्संबंधी आख्या मुख्यालय भी प्रेषित की जाए।
- 7.19 प्रत्येक निरीक्षक न्यादर्शवरण तथा इसके कोडिंग अनुभाग को प्रेषण के मध्य सावधानीपूर्वक नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ताकि प्रत्येक स्थिति में कोडिंग अनुभाग को प्रेषित किया गया न्यादर्श तत्संबंधित मूल बीज लाट का पूर्णरूपेण प्रतिनिधित्व करता हो।
- 7.20 कोडिंग अनुभाग को न्यादर्शों के प्रेषण के उपरान्त किसी भी समय संस्था मुख्यालय स्तर से आकस्मिक जाँच एवं न्यादर्शवरण कराया जा सकता है जिसमें किसी भी भिन्नता अथवा शिथिलता के लिए संबंधित न्यादर्शवरणकर्ता ही उत्तरदायी होगा।
- 7.21 रक्षित न्यादर्श विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने के उपरान्त संभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा नीलाम किये जायेंगे। संस्था में उन संभागीय कार्यालयों, जहाँ प्रयोगशालायें स्थापित हैं (लखनऊ, मऊ, मुजफ्फरनगर, बरेली एवं कानपुर), को छोड़कर शेष संभागीय कार्यालय रक्षित न्यादर्शों की नीलामी अपने स्तर से उचित बोली पर करेंगे। तदोपरान्त माल उठाने से पूर्व मुख्यालय निदेशक स्तर से अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन के उपरान्त पूर्ण धनराशि जमा के उपरान्त रक्षित न्यादर्शों की कुल मात्रा को उठवायेंगे एवं उससे प्राप्त धनराशि का विवरण भी मुख्यालय भेजेंगे। सभी प्रयोगशालाओं के रक्षित न्यादर्शों की नीलामी से पूर्व निदेशक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी तथा अनुमति के पश्चात ही नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।
- 8. पैकिंग एवं टैगिंग-** पैकिंग के लिये सामान्यतः जूट अथवा सूती धागे से बने बोरो/थैलो का ही प्रयोग किया जायेगा। परफोरेटेड एच0डी0पी0ई0 बैग में पैक कराये जाने की दशा में उक्त की पूर्वानुमति बैग का नमूना, 100 रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपर पर बैग की गुणवत्ता का शपथ-पत्र एवं लॉटवार प्रस्तावित मात्रा का विवरण प्रस्तुत करते हुए संस्था मुख्यालय से लेनी होगी।
- 8.1 बीजों की पैकिंग का आकार सामान्यतया 1 है0, 0.50 है0, 0.40 है0 एवं 0.20 है0 क्षेत्रफल की बीज दर के अनुसार अधिकतम 50 कि0ग्रा0 होगा।
- 8.2 ऐसे प्रमाणित बीज जो बीज से फैलने वाली बीमारियों के स्तर में आधारीय बीज के मानक के अनुरूप नहीं हैं, उनके टैग पर "I" की मोहर लगा दी जाएगी। यह मोहर टैग के ऊपर ऊपर दायीं ओर होगी तथा प्रमा0 बीज से प्रमा0 वर्ग में उत्पादित बीज के टैगों पर "S" की मोहर लगायी जायेगी। इन दोनों श्रेणियों से अनुवर्ती बीजोत्पादन (प्रमाणीकरण) वर्जित होगा।

- 8.3 अण्डरटेकिंग के आधार पर एडवांस टैगिंग का कार्य बीज निगमों/राजकीय कृषि विभाग जैसी बीज उत्पादक संस्थाएँ जोकि प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम की वृहद मात्रा का संचालन करती हैं, को संस्था द्वारा अति-विशिष्ट परिस्थितियों में अण्डरटेकिंग के आधार पर टैग्स प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। परन्तु इसके लिए प्रतिबंध यह होगा कि उत्पादक संस्था द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था को दी गयी अण्डरटेकिंग का किसी भी दशा में उल्लंघन न हो तथा विधायन से पूर्व बीजों का परीक्षण किसी भी अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में संबंधित विभाग द्वारा करा लिया गया हो।
- 8.4 प्रमाणित वर्ग के बीजों के बोरो में रसायन की पुडिया रखने से इसके दुरुपयोग की संभावना बराबर बनी रहती है। प्रमाणित बीज के बोरो में पुडिया न रखकर अधिसूचित रोगों से ग्रसित बीज का पैकिंग के समय ही संस्तुत रसायन द्वारा उपचार कराना आवश्यक है। फिर भी जिन बीजों का उपचार किया जाना अपरिहार्य हो परन्तु कतिपय कारणों से विधायन/टैगिंग के समय संभव न हो, उन बीजों के थैलों में उपचार संबंधी आवश्यक निर्देश (लीफ्लैट) के साथ निर्धारित रसायन की मात्रा की पुडिया बीज बोरो में रखने की अनुमति संभागीय अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है ताकि बीज का उपचार बुवाई से पूर्व कृषकों द्वारा किया जा सके। उक्त की सूचना संस्था मुख्यालय को भी दी जायेगी।
- 8.5 आधारीय वर्ग के बीजों में खेत एवं बीज स्तर पर किसी भी प्रकार का बीज जनित रोग (सीड बॉर्न डिजीज) पाये जाने पर बीजों का उपचार सिस्टैमिक फफूँदी नाशक रसायन से कराया जाना होगा। कोई बीमारी न होने पर भी कान्टेक्ट फफूँदी नाशक रसायन से उपचार से किया जाना आवश्यक होगा। प्रमाणित वर्ग के बीजों में रोग न पाये जाने पर उपचार आवश्यक नहीं है, परन्तु रोग की पुष्टि होने की दशा में कान्टेक्ट फफूँदी नाशक रसायन से उपचार कराया जाना आवश्यक होगा। उपचार हेतु प्रयुक्त रसायन का विवरण बीज के बोरो एवं टैगो पर भी अंकित किया जाये। सभी उपचार ट्रीटर से संयंत्र पर ही किये जायें।
- 8.6 जैसा कि भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है, टैग के साथ-साथ उत्पादक संस्था का लेबिल भी पूर्ण विवरण सहित बीज के बोरो पर सिलाई किया जायेगा।
- 8.7 संस्था द्वारा प्रमाणित बीजों की वैधता अवधि परीक्षण तिथि से 9 माह होगी जिसे टैगों पर तिथि के रूप में अंकित किया जायेगा। टैगों पर प्रमाण-पत्र संख्या के साथ उसकी दिनांक भी वही अंकित की जायेगी जो संदर्भित प्रमाण-पत्र पर विनिर्दिष्ट है। साथ ही टैगों पर पैकिंग साइज का उल्लेख भी अनिवार्य है।
- 8.8 अमुक बीज लाट के लिए जारी प्रमाण-पत्र पर, उस लाट के लिए प्रयुक्त किये गये टैगों की सीरीज सहित आधान आकार एवं बीज मात्रा का विवरण भी अंकित किया जाय।
- 8.9 वैधकरण से संबंधित बीज लाट प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप पाये जाने की दशा में तत्संबंधी बीज लाट की वैधता अवधि परीक्षण की तिथि से 6 माह तक बढ़ायी जा सकती है। यह प्रक्रिया तब तक अपनायी जा सकती है जब तक बीज लाट निर्धारित मानकों के अनुरूप बना रहे। वैधकरण के समय आवश्यकता के अनुसार ग्रेडिंग व री-टैगिंग भी करायी जा सकती है। कायिक रूप से प्रवर्द्धित सामग्री/कंद/शल्क कंद/प्रकंद तब तक वैधकृत किये जाते रहेंगे जब तक वह भौतिक रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। इस निमित्त निर्धारित आवेदन-पत्र पर अनुरोध करना होगा। वैधकरण हेतु प्रस्तावित आवेदन सम्बन्धित बीज लाट की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व में ही प्राप्त होना चाहिए। साथ ही इस संबंध में समय समय पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश मान्य होंगे।
- 8.10 बीज के थैलों पर टैग लगाने से पूर्व, प्रत्येक टैग पर टैगिंग कार्य कराने वाले निरीक्षक के हस्ताक्षर एवं नाम व पद की मोहर लगाना आवश्यक है।
- 8.11 आलू बीज के बोरे पर एक टैग पालीथिन में रखकर सिलाई के साथ बोरे के बाहर लगा दिया जायेगा, जो बुवाई से पूर्व शीतगृह से निकालकर पुनः कृषकों/बीजोत्पादकों को आपूर्ति के समय हटा दिया जायेगा और इसे संस्था कार्यालय में जमा करते हुए नया टैग निर्गत/प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।
- 8.12 आलू की टैगिंग के समय ही बीमारी से ग्रस्त माने गये कंदों में से 10 कंदों का एक न्यादर्श रोग की पुष्टि हेतु कोडिंग अनुभाग (मु0) भेजा जायेगा। निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए न्यादर्शवरण के समय ही मूल लाट पर अन्तिम रूप में टैग्स लगाये जा सकते हैं। बीज की बुवाई हेतु शीतगृह से निष्कासन के समय बीज का पुनः टैगिंग कराया जायेगा तथा केवल ऐसे बीज (आलूकंद) से संदर्भित फसल ही प्रमाणीकरण हेतु मान्य होगी।
- 8.13 वैधकरण हेतु विचाराधीन ऐसी सभी बीज मात्रायें जो अलग-अलग स्थान, जलवायु, तापक्रम तथा परिस्थितियों में भण्डारित हैं, को एक अलग अथवा भिन्न इकाई माना जाएगा चाहे ये बीज मात्रायें एक ही बीज लाट का अंग/भाग क्यों न हों। इस प्रकार निर्धारित प्रत्येक इकाई को भिन्न बीज लाट के रूप में चिन्हित करते हुए न्यादर्शवरण व परीक्षण कराते हुए स्वतंत्र रूप में अनुवर्ती वैधकरण कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। लाट की वैधता अवधि परीक्षण दिनांक से छः माह के लिए होगी।

#### 9. अन्तर-संस्था बीज प्रमाणीकरण

ऐसे बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्थाएँ जो प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत खेत स्तर पर बीजों का उत्पादन एक राज्य में तथा बीज विधायन संयंत्र की सन्निकटता आदि अपरिहार्य कारणोंवश उनका विधायन, पैकिंग एवं टैगिंग का कार्य दूसरे राज्य में वहाँ की बीज प्रमाणीकरण संस्था से कराना चाहें, उनके द्वारा उ0प्र0 में पंजीकरण के समय प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है अपितु सामान्य नियमों के अन्तर्गत ही पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अन्य कार्यवाही निम्नवत् होगी:-

- 9.1(अ) ऐसे बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्थाओं को दूसरे प्रदेश में बीजों के विधायन हेतु संचरण से पूर्व उस प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था से आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्त करना होगा।
- 9.1(ब) जिस राज्य में बीजोत्पादन किया गया है वहाँ की बीज प्रमाणीकरण संस्था से निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को प्राप्त कर उस राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत करने होंगे जहाँ विधायन, बीज परीक्षण एवं टैगिंग कार्य आदि कराया जायेगा:-
- (I) "खेत स्तर तक का प्रमाणीकरण विवरण" जिसमें फसल/प्रजाति का नाम, बीजस्रोत में प्रयुक्त एवं उत्पादित बीज का वर्ग, प्रमाणित क्षेत्रफल, फसल कटाई की तिथि, अपरिष्कृत बीज की मात्रा तथा आधानों की संख्या क्षमता सहित लॉटवार एवं संबंधित फसल के खेत स्तर पर मानकों के अनुरूप पाये जाने का प्रमाण-पत्र।
- (II) बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्य क्षेत्र में जहाँ अपरिष्कृत बीज पैदा किया गया हो, के द्वारा ऐसे बीज के संचरण हेतु सहमति के रूप में "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" निर्गत किया जायेगा जिससे दूसरे राज्य में अन्तिम प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा सकें।
- 9.2 (अ) राज्य, जहाँ से बीज बाहर भेजा जाना है, की बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीजों को बाहर भेजे जाने से पूर्व प्रत्येक लाट से एक प्रतिरूप न्यादर्शवर्ण किया जायेगा जिसे बराबर-बराबर भागों में बाँटकर निर्धारित मात्रा के तीन न्यादर्श तैयार किये जायेंगे, जिनमें से एक न्यादर्श बीजोत्पादक को सौंपते हुए दूसरे न्यादर्श को उस राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था को भेजा जायेगा। जहाँ विधायन, टैगिंग आदि कार्य कराया जाना है तथा तीसरा न्यादर्श संस्था का संभागीय कार्यालय स्वयं अपने पास रक्षित न्यादर्श के रूप में सुरक्षित रखेगी।
- 9.2 (ब) बीजों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आधान/कन्टेनर पर फसल/प्रजाति का नाम, बीज का वर्ग, लॉट संख्या आदि अंकित करते हुए एक लेबिल, जिस पर फसल/प्रजाति का नाम, बीज का वर्ग, लॉट संख्या आदि तथा "THE SEED IS INVOLVED IN INTER-AGENCY CERTIFICATION" का अंकन रहेगा तथा संस्था प्रतिनिधि के नाम, पदनाम की मोहर सहित हस्ताक्षर होंगे, को आधानों पर लगाते हुए सील किया जाना आवश्यक होगा।
- 9.3 जिस राज्य में बीजों को विधायन, बीज परीक्षण, टैगिंग आदि हेतु ले जाया जा रहा है वहाँ की बीज प्रमाणीकरण संस्था को निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित करनी होंगी:-
- 9.3 (अ) आधान/कन्टेनर ठीक दशा में हो तथा लेबल एवं सील भी यथावत सुरक्षित एवं नियमानुसार लगे हों।
- 9.3 (ब) बीजों के विधायन, पैकिंग अथवा टैगिंग का कार्य नियमानुसार सम्पन्न किया जायेगा।
- 9.3 (स) नियमानुसार बीज न्यादर्शवर्ण करते हुए बीज विश्लेषण/परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
- 9.3 (द) तदनुसार मानक अनुरूप पाये गये बीज लॉट्स पर टैग्स, सील लगाते हुए प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।
- 9.3 (य) प्रत्येक आधान/कन्टेनर एवं टैग पर "FILED APPROVED \_\_\_\_\_ SCA" मोहर अंकित की जायेगी।
- 9.3 (र) बीज आधानों/टैग्स पर अंकित किये जाने वाले लाट संख्या का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा:-  
- लाट का पहला भाग फसल कटाई का माह एवं वर्ष कूटॉक, दूसरा भाग उत्पादन लोकेशन कोड (राज्य कूटॉक) तथा तीसरा भाग बीज विधायन संयंत्र का कूटॉक होगा तथा चौथा भाग बीज स्टॉक का कोड होगा।
- 9.4 उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत किसी अन्य राज्य की कोई भी उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था अगर उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कराना चाहती हैं, तो समस्त कार्यवाही निर्धारित शुल्क के अग्रिम भुगतान पर ही की जायेगी।
- 9.5 प्रदेश के एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग में बीजों का विधायन हेतु संचरण :- यदि किसी बीज उत्पादक संस्था द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम किसी एक सम्भाग में कराया जाता है तथा उसका अन्तःग्रहण किसी दूसरे सम्भाग में कराया जाता है, तो ऐसी दशा में स्वयं कृषक द्वारा किसी भी संयंत्र पर अन्तःग्रहित कराये जाने पर सिलिंग की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है परन्तु यदि उत्पादक संस्था द्वारा अपने कृषक/कृषकों से उत्पादित बीज मात्रा का यथा स्थान अन्तःग्रहण कर लिए जाने के उपरान्त अन्य सम्भाग में स्थापित संयंत्र पर ले जाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्थानान्तरित की जा रही बीज मात्रा की सीलिंग कार्यवाही कराया जाना अनिवार्य होगा।
10. टैग एवं लेडसील का रखरखाव-
- 10.अ मुख्यालय स्तर पर
- 10.अ.1 संस्था के लिए आवश्यक टैग की आपूर्ति की व्यवस्था का दायित्व मुख्यालय की परचेज कमेटी का होगा। टैग्स की आपूर्ति मुख्यालय द्वारा ही की जायेगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये बंडलों पर निम्नलिखित लेबिल चस्पा किया जायेगा:-

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,  
टैग्स का वर्ग-  
सीरीज नं०-  
टैग्स की क्रम संख्या-  
मात्रा-  
आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम

- 10.अ.2 संस्था मुख्यालय भण्डार द्वारा उपरोक्तानुसार लेबिल लगे टैग्स के बण्डल ही आपूर्तिकर्ता से स्वीकार किये जायेंगे तथा प्राप्त टैगों की प्रविष्टि इस प्रयोजन हेतु रखी गयी स्टॉक पंजिका में की जायेगी। इस प्रविष्टि के समय टैग्स की सीरीज नम्बर एवं टैग्स की क्रम संख्या का विवरण तिथिवार रखा जायेगा।
- 10.अ.3 संस्था मुख्यालय भण्डार द्वारा संभागीय कार्यालयों को टैग्स का निर्गमन संभागीय अधिकारी की मांग के अनुसार संयुक्त निदेशक मुख्यालय के आदेशानुसार किया जायेगा। संभागीय कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों को सुरक्षित कर एक अतिरिक्त पत्रावली में रखा जायेगा तथा जो भी टैग संभागीय कार्यालयों को निर्गत किये जायेंगे उनका विवरण स्टॉक पंजिका में टैग की सीरीज नम्बर, टैग की क्रम संख्या स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुये अंकित किया जायेगा। प्रत्येक तिथि तथा प्रत्येक संभाग के लिए निर्गत सभी टैगों के विवरण का पूर्ण लेखा-जोखा उक्त पंजिका में तिथिवार रखा जायेगा।
- 10.अ.4 संभागीय कार्यालयों से जो टैग संस्था मुख्यालय को वापस प्राप्त होंगे उनका तिथिवार, स्पष्ट विवरण मुख्यालय की स्टॉक पंजिका में रखा जायेगा।
- 10.अ.5 संभाग स्तर पर गठित समिति, जिसका उल्लेख आगे किया गया है, द्वारा गणना के उपरान्त कम पाये गये, गलत मुदित, डबल सीरीज के टैग्स का क्रय मूल्य आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूला जायेगा। इस संबंध में कार्यवाही मुख्यालय द्वारा की जायेगी तथा इसका भी स्पष्ट विवरण पंजिका में रखा जायेगा।
- 10.अ.6 गलत मुदित, डबल सीरीज के टैग्स जो संभागीय कार्यालय से संस्था मुख्यालय पर प्राप्त होंगे उनको निम्नानुसार गठित समिति कि समक्ष वर्ष में कम-से-कम एक बार जलाकर नष्ट किया जायेगा:-
- |    |                         |         |
|----|-------------------------|---------|
| क. | संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक | अध्यक्ष |
| ख. | वित्त एवं लेखाधिकारी    | सदस्य   |
| ग. | बीज प्रमाणीकरण अधिकारी  | सदस्य   |
| घ. | स्टोर कीपर (मु0)        | सदस्य   |
- उक्त समिति द्वारा नष्ट किये गये टैगों का विवरण भी पंजिका में रखा जायेगा तथा समिति का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जायेगा।

#### 10.ब सम्भाग स्तर पर

- 10.ब.1 संस्था के संभागीय कार्यालयों पर उनकी मांग के अनुसार प्रेषित टैग जो मुख्यालय से प्राप्त होंगे उनकी गणना निम्नलिखित विवरण के अनुसार गठित समिति द्वारा की जायेगी:-
- |    |                                |         |
|----|--------------------------------|---------|
| 1. | उपनिदेशक/प्रभारी अधिकारी       | अध्यक्ष |
| 2. | बीज प्रमाणीकरण अधिकारी         | सदस्य   |
| 3. | वरिष्ठ बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक | सदस्य   |
- स्टोर संबंधी कार्य करने वाला लिपिक उक्त समिति को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
- 10.ब.2 उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा पैक बंडलो को खुलवाकर टैगों की गणना की जायेगी तथा गणना के उपरान्त सही पाये गये टैग्स के विवरण के साथ ही साथ कम पाये गये, गलत मुद्रित तथा डबल सीरीज के पाये गये टैग्स का स्पष्ट विवरण भी एक स्टॉक पंजिका में निर्धारित प्रारूप पर उक्तानुसार अंकित किया जायेगा।
- 10.ब.3 उक्त समिति द्वारा गणना के उपरान्त कम पाये गये, गलत मुद्रित तथा गलत सीरीज के पाये गये टैग्स की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गणना के पूर्ण होने के बाद मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा उक्त सूचना के साथ ही गलत मुदित, डबल सीरीज के टैग्स संस्था मुख्यालय को लौटाये जायेंगे।
- 10.ब.4 संभागीय कार्यालयों द्वारा बीज विधायन संयंत्र पर कार्यरत प्रभारी कर्मचारियों/अधिकारियों के मांगपत्र के आधार पर टैग्स निर्गत किये जायेगे तथा निर्गत किये गये टैग्स की सीरीज व क्रमांक संबंधित मांग पत्र पर एवं स्टॉक पंजिका में अंकित किया जायेगा और मांग पत्र पर प्राप्तकर्ता के नाम, पद व दिनांक सहित हस्ताक्षर करवाये जायेगे। बीज विधायन संयंत्र के लिए टैग्स निर्गत करते समय पूर्व में दिये गये टैगों के लेखा-जोखा का विवरण भी संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा आवश्यक विवरण प्राप्त होने की दशा में ही टैग निर्गत किये जायेंगे।
- 10.ब.5 एक संभाग से दूसरे संभाग में टैगों का निर्गमन मुख्यालय की अनुमति पर ही किया जायेगा। समस्त निर्गत टैगों का तिथिवार पूर्ण विवरण स्टॉक पंजिका में रखा जायेगा।
- 10.ब.6 संभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में संभाग में स्टॉक में उपलब्ध टैगों का सत्यापन किया जायेगा तथा प्रत्येक मासान्त का विवरण संबंधित स्टॉक पंजिका में अंकित किया जायेगा। यदि सत्यापन के उपरान्त टैग के स्टॉक में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित भण्डार प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के साथ ही साथ संस्था मुख्यालय को भी उसकी सूचना दी जायेगी।
- 10.ब.7 संभागीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक त्रैमास (जून/सितम्बर/दिसम्बर/मार्च) के अन्त में टैग तथा लेडसील की सत्यापन रिपोर्ट संस्था मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासान्त पर अगले माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

## 10.स. बीज विधायन संयंत्र स्तर पर

- 10.स.1 संभागीय कार्यालयों से प्राप्त टैगों के स्टॉक के रखरखाव के लिए निर्धारित प्रारूप पर स्टॉक पंजिका रखी जायेगी तथा उक्त पंजिका में समस्त प्राप्त एवं प्रयोग किये गये टैगों का विवरण तिथिवार अंकित किया जायेगा। संभागीय अधिकारी द्वारा भी समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके संयंत्र स्तर पर उपलब्ध टैगों के स्टॉक की जांच की जायेगी।
- 10.स.2 बीज विधायन संयंत्र स्तर पर उपलब्ध टैगों के रखरखाव तथा सुरक्षा के लिए संयंत्र पर कार्यरत बीज निरीक्षक उत्तरदायी होंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि बीजोत्पादक संस्था को टैग तभी उपलब्ध कराये जायें जबकि प्रमाणित बीजोत्पादन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार बीज प्रमाणीकरण हेतु लाट उपयुक्त हो। टैग के स्टॉक का दैनन्दिनी विवरण पंजिका में न रखना, टैग की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित न करना, अधोमानक बीज लाट के लिए टैग उपलब्ध कराना या बिना बीज प्रमाणीकरण की निर्धारित प्रक्रिया पूरी किये हुए टैग बीजोत्पादक को उपलब्ध कराना एक गम्भीर अनियमिता मानी जायेगी तथा इसके लिये संबंधित निरीक्षक अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होंगे।
- 10.स.3 टैग के चोरी हो जाने, जल जाने या अन्य किसी कारण से नष्ट हो जाने की दशा में उसकी सूचना निरीक्षक द्वारा तत्काल संभागीय अधिकारी एवं मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए पुलिस में भी प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी तथा उसका उल्लेख स्टॉक पंजिका में भी किया जायेगा। मुख्यालय स्तर से ऐसे मामलों में तत्काल विभागीय आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। फसल सत्र का टैगिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक संयंत्र स्वामी/प्रभारी से इस आशय का एक घोषणा पत्र लिया जायेगा कि बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये सभी टैग्स बीज के बोरो पर सिलाई किये जा चुके हैं तथा कोई भी टैग शेष नहीं है।

## 10.द. लेडसील का रखरखाव

संस्था मुख्यालय स्टोर से निर्गमन के पश्चात संभाग तथा बीज विधायन संयंत्र स्तर पर लेडसील पंजिका क्रमशः निर्धारित प्रारूप के अनुसार बनायी जायेगी तथा मासिक सत्यापन इन पंजिकाओं में क्रमशः उपनिदेशक/प्रभारी तथा वरिष्ठतम निरीक्षक द्वारा अंकित किया जायेगा।

## 11. प्रशिक्षण एवं प्रसार-

- 11.1 प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व मई/जून एवं नवम्बर/दिसम्बर में मुख्यालय स्तर पर संभागीय उपनिदेशकों/प्रभारी अधिकारियों की एक दिवसीय बैठक आयोजित की जायेगी, जिसके नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक मुख्यालय होंगे। बैठक में बीज प्रमाणीकरण कार्य, अन्य कार्यों की प्रगति समीक्षा की जायेगी तथा अधिकारियों को पुनर्बोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें अन्य संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी/कृषि वैज्ञानिक/विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। उक्त बैठकों में सभी संभागीय अधिकारियों का भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 11.2 कृषकों/बीजोत्पादक संस्थाओं को संस्था के कार्यकलापों से अवगत कराने हेतु रबी एवं खरीफ के बुवाई के समय से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों एवं समस्याओं के लिये उपयुक्त विषयों को सम्मिलित करते हुए एक दिवसीय गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा, जिसके नोडल अधिकारी संभागीय उपनिदेशक/प्रभारी अधिकारी होंगे। इन गोष्ठियों में बीज उत्पादक कृषकों, बीज विधायन संयंत्रों के स्वामी तथा राष्ट्रीय बीज निगम, कृषकों, ईफकों, उ०प्र० बीज विकास निगम, कृषि, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जायेगा। उपस्थित कृषकों एवं अधिकारियों की सूची सहित गोष्ठी सपन्न होने के एक सप्ताह के अन्दर उसका कार्यवृत्त निदेशक के नाम से संस्था मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11.3 प्रत्येक वरिष्ठ बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक तथा बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक द्वारा फसल निरीक्षक हेतु जहां-जहां रात्रि विश्राम किया जाये उन बीजोत्पादक ग्रामों में रबी, खरीफ एवं जायद फसल सत्र में कम से कम एक एक ग्राम स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन अवश्य किया जायेगा। इन गोष्ठियों में कृषकों को बीज प्रमाणीकरण संस्था को कार्यकलापों, बीजोत्पादक की उन्नत तकनीक तथा उस से लाभ आदि से अवगत कराया जायेगा व बीजोत्पादन क्षेत्रफल बढ़ाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। उक्त गोष्ठी के आयोजन के संबंध में ग्राम प्रधान से कृषक गोष्ठी आयोजन का प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त करके उसकी एक प्रति संभागीय उप-निदेशक को गोष्ठी सम्पन्न होने के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी। संभागीय उपनिदेशक/प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन गोष्ठियों का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा जहां संभव हो उनके द्वारा भी गोष्ठियों में भाग लिया जायेगा।
- उक्त निर्देश बीज अधिनियम 1966 व बीज नियम 1968 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत संस्था को न्यस्त कृत्यों को सुचारु रूप से सम्पादन हेतु दिये जा रहे हैं अतः इनका कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य है यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कर्मचारी एवं अधिकारी उक्त निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध संस्था के नियमों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 11.4 बीज प्रमाणीकरण सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया का मूल आधार सेन्ट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा सितम्बर 2013 में नवीनतम प्रकाशित ईन्डियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैण्डर्स पुस्तिका होगी।

(ऋषि राज सिंह)  
निदेशक

उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,  
राजकीय उद्यान परिसर, आलमबाग, लखनऊ

पत्रांक: बीज०प्र०मु०/तक०/का०ज्ञा०/के०/६७८४  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: लखनऊ: 13.12.2016

1. संस्था के समस्त उपनिदेशक/बीज प्रमाणीकरण अधिकारी/वरिष्ठ बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक/बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक/प्राधिकृत अधिकारी, कोडिंग अनुभाग/प्रभारी, समस्त बीज परीक्षण प्रयोगशाला/वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर/मुख्यालय भण्डारगारिक, उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था.....
2. कृषि निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्यान एवं प्रसंस्करण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय, प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लखनऊ।
7. निदेशक, (शोध), च०शे० आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय मेरठ/सियाट्स, नैनी, इलाहाबाद/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8. निदेशक, आई०आई०एस०आर०, मऊ/आई०आई०पी०आर०, कानपुर।
9. निदेशक, फसल प्रणाली अनुसंधान केन्द्र, मोदीपुरम् मेरठ।

13/12/16  
( ऋषि राज सिंह )  
निदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव (कृषि), अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. उप आयुक्त (गुणता नियंत्रण) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।

( ऋषि राज सिंह )  
निदेशक